न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

प्रकरण स. 89/2023 (78/.2022)

मंदिर चारभुजा महाराज जरिये पुजारी

1. ओमप्रकाश पुत्र आनन्दी दास
2. कन्हैयालाल पुत्र गोपाल दास
3. शम्भू दयाल पुत्र गोपाल दास
4. पवन पुत्र बजरंग पौत्र गोपालदास
5. राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश

जाति साधु (वैष्णव) निवासी नागोला तहसील भिनाय जिला अजमेर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये

1. तहसीलदार भिनाय
2. नायब तहसीलदार नागोला
3. राजेश कुमार पुत्र इन्द्रदास जाति साधु (वैष्णव) निवासी नागोला तहसील भिनाय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार भिनाय आदेश क्रमांक/संपर्क/2022/2150 दिनांक 30.11.2022

उपस्थितः–

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय

दिनांक 30.12.2025

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नागोला के आराजी ख.नं. 1436 रकबा 0.08 ख.नं. 1437 रकबा 0.17 की खातेदारी मंदिर श्री चारभुजाजी महाराज के नाम दर्ज है। मंदिर के पुजारी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 एवं उनके पूर्वज वर्षों से चले आ रहे है तथा आराजी पर ही मौके पर पक्के मकान बनाकर परिवार सहित निवास एवं काश्त करते आ रहे है। वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में विवादित व अन्य आराजी मंदिर श्री चारभुजाजी महाराज के नाम खातेदारी में दर्ज एवं अहतमाम पुजारी देवदास, आनन्दीदास पुत्रान किशनदास जाति साधु साकिन देय खातेदार दर्ज है। वर्तमान में उनके वारिसान सेवा पूजा करते चले आ रहे है। राजस्थान सरकार के परिपत्रों के अनुसार पुजारियों के नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिये गये थे। लेकिन प्रार्थीगण सेवा पूजा एवं आराजी पर पक्के मकान बनाकर निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण अतिक्रमी नहीं है लेकिन अप्रार्थी सं. 3 जो प्रार्थीगण के ही पारिवारिक सदस्य है जिनके द्वारा द्वेषतांवश शिकायत प्रस्तुत की गई जिसमें ख.नं. 1436 व 1437 कुल रकबा 0.14 हैक्ट0 पर मंदिर के पुजारी द्वारा अतिक्रमण करना बताया जिस पर कार्यवाही कर तहसीलदार भिनाय द्वारा अपने क्रमांक/संपर्क/2022/2150 दिनांक 30.11.2022 द्वारा नायब तहसीलदार नागोला को अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गठित कर आदेशित किया कि दिनांक 19.12.2022 पर मौके पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर पालनार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार भिनाय द्वारा प्रार्थीगण को नोटिस, जवाब, सुनवाई, साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बगैर दिनांक 30.11.2022 का आदेश पारित किया जो प्राकृतिक न्याय नियम के सिद्धान्त के विपरीत है। राजस्थान भू राजस्व अधि0 की धारा 91 के तहत

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

सिवायचक आराजी पर अतिक्रमी को बेदखल किये जाने के प्रावधान तहसीलदार को प्रदत्त किये गये जबकि विवादित आराजी मंदिर की भूमि है तथा प्रार्थीगण सेवा पूजा एवं आराजी पर मकान बनाकर निवास कर रहे है। वह अतिक्रमी नहीं है। तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु आक्षेपित आदेश पारित किया उसकी संबंधित पक्षकार/प्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी जबकि विधिक पालना किये बगैर आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतः तहसीलदार भिनाय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया जाकर जवाब एवं मूल रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई। रेस्पो. सं. 3 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मंदिर के पुजारी को पूजा अर्चना करने एवं मंदिर के रखरखाव के लिए मंदिर की जमीन सौंपी जाती है जिसमें पुजारी सिर्फ काश्त कर सकते है ना कि उक्त भूमि पर बिना मालिकाना हक के पक्का निर्माण कर सकते है। प्रकरण में पुजारियों ने बिना हक अधिकार के मंदिर की भूमि पर पक्का निर्माण व्यावसायिक रूप से कर लिया है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांत मध्यप्रदेश राज्य बनाम पुजारी उत्थान एवं कल्याण समिति ए.आई.आर. 2021 एस.सी. 4245 में प्रतिपादित किया कि पुजारी को मंदिर का प्रबंधन करने के अलावा अन्य कोई दर्जा नहीं है। पुजारी मंदिर के सिर्फ केयर टेकर जो मंदिर प्रबंधन करेगा और मंदिर की देखभाल करेगा। पुजारी मंदिर भूमि के मालिक नहीं बन सकते। जबकि हस्तगत प्रकरण में पुजारियों ने मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण कर लिया है। तहसीलदार को राजस्व विभाग के प्रपत्र प. 3(2) राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के तहत मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। पूर्व की शिकायत 08.04.2021 में ऑनलाइन दर्ज हुई थी जिसके तहत प्रकरण दर्ज होकर पक्षकारान को समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित किया गया। अपीलार्थीगणों को दिनांक 23.04.2021 में जिस समय तीन दुकानो पर छत डाली जा रही थी तब मौके पर काम बंद करवाया गया और निर्माण न करने हेतु भू.अ.नि. द्वारा पाबंद किया गया लेकिन अपीलार्थी ने इसे नजरअंदाज करते हुये निर्माण पूर्ण कर लिया जिसे हटाये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा नियमानुसार आदेश पारित किया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलान्ट वकील ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट अपीलवर्णित मंदिर भूमि के पुजारी है तथा वे अतिक्रमी नहीं है। तहसीलदार भिनाय द्वारा बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये अतिक्रमण हटाने हेतु टीम गठित कर आक्षेपित आदेश पारित किया जो कि नियमविरूद्ध एवं न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से मंदिर चारभुजाजी के पुजारी है तथा अपीलवर्णित आरजी काश्त कर रहे है। तहसीलदार भिनाय द्वारा की गई कार्यवाही गलत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद के संदर्भ में पटवारी हल्का नागोला की रिपोर्ट दिनांक 28.11.2022 अनुसार मंदिर चारभुजा की भूमि ख.नं. 1436 व 1437 में मंदिर के पुजारी द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है जिसकी राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

कर बेदखली के आदेश हुए। उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में तहसीलदार भिनाय द्वारा पत्र क्रमांक/सम्पर्क/2022/2150 दिनांक 30.11.2022 से कार्मिकों की टीम गठित कर मौके पर अतिक्रमण हटाने/आवश्यक कार्यवाही करने हेतु नायब तहसीलदार नागोला को लिखा है। विचाराधीन अपील तहसीलदार भिनाय के उक्त पत्र 2150 दिनांक 30.11.2022 के विरूद्ध ही प्रस्तुत है। चूंकि अतिक्रमण के संदर्भ मे नायब तहसीलदार नागोला द्वारा पूर्व में ही राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुये आदेश पारित कर दिये थे। उक्त आदेश की पालना हेतु संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद के संदर्भ में ही उक्त आक्षेपित आदेश/पत्र दिनांक 30.11.2022 जारी किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अनुसार तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध अपील कलेक्टर को प्रस्तुत की जा सकती है। लेकिन आक्षेपित पत्र क्रमांक/सम्पर्क/2022/2150 दिनांक 30.11.2022 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अनुसार मूल आदेश नहीं होकर एक अन्तरवर्ती आदेश (Interlocutory order) है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 77 के प्रावधान अनुसार अन्तरवर्ती आदेश अपील योग्य नहीं होते है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/12/25

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी